पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/ 295 / 1213027 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉंक :: जुलाई 03, 2012 ।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषयः- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-3(2012-13)-289/1213014/वाणिज्य कर दिनॉंक 22.05.2012 ,एवं परिपत्र संख्या -आई0टी0-NIC कम्प्यूटराईजेशन साफ्टवेयर (2012-13/233/1213020 दिनॉंक 07-06-2012 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे ।यह ज्ञात हुआ है कि इन परिपत्रों द्वारा विस्तृत निर्देश दिये जाने के वाबजूद अभी भी फील्ड के अधिकारियों को कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट नही है साथ ही The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence के आधार पर डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये मामलों में यह स्पष्ट नही हो पाता है कि किस आधार पर व्यापारी द्वारा घोषित टैक्स व टर्न ओवर को अविश्वसनीय पाया गया है। अत: डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था के सम्बन्ध में अग्रेत्तर स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा व्यापारी द्वारा घोषित टैक्स व टर्न ओवर अविश्वसनीय पाये जाने के मामलो में अग्रेत्तर व्यवस्था बनातें हुए निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1- अधिनियम की धारा 28(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी वाद को डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर निर्धारण पत्रावली के आदेश फलक पर किया जायेगा । बाद में इसी आधार पर Central VYAS साफ्टवेयर के डीम्ड कर निर्धारण माडयूल में निर्धारित Boxes को Tick करने की कार्यवाही की जायेगी ।

2- वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) में कमियॉं पाये जाने पर इसे दूर कराये जाने के लिए व्यापारी को जो नोटिस भेजी जायेगी उसमें कमियों का स्पष्ट उल्लेख संक्षेप में किया जाना आवश्यक होगा तथा यह कमियॉं पूर्ण न कराये जाने पर ही व्यापारी का वाद डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किया जायेगा ।

3- The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence के आधार पर डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये मामलों में डीम्ड कर निर्धारण माडयूल में उन कारणों को भी अंकित किया जायेगा जिनके आधार पर व्यापारी द्वारा घोषित टैक्स व टर्न ओवर अविश्वसनीय पाया गया है। इसके लिए माडयूल में निम्न अतिरिक्त Boxes बनाये गये है जो क्रमॉंक 05 के बाक्स को Tick करने पर खुलेगें -

1- Adverse material found in survey of the business premises
2- Adverse material found in the seized books of account
3- Seizure of goods being transported in contravention of the Act and Rules
4- Informations received in respect of sales/ purchase of the dealer not verified
5- Mis-classification of good regarding rate of tax
6- Claim of ITC not verified

7- Any other reason (mention in brief)

उक्त में से क्रमॉक 07 का बाक्स Tick करने पर इसके सामने खुलने वाले Text Box में कारणों के संक्षेप में अंकित किया जायेगा।

4- डीम्ड कर निर्धारण माडयूल में उक्त परिवर्तन बाद में किये गये है, अत:यदि किसी मामले में पूर्व में Box संख्या 05- The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence को डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये जाने के कारण के रुप में Tick किया गया है, तों ऐसे मामले में पुन: उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित Boxes को Tick करना / कारण अंकित करना अनिवार्य होगा।

5- माड्यूल में किए गये उक्त परिवर्तनों को देखते हुए VYAS central साफ्टवेयर में की जाने वाली उपरोक्त समस्त कार्यवाही को पूरा करने के लिए पूर्व में निर्धारित तिथि दिनांक 30-06-2012 को अब बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 किया जाता है। इस तिथि के पूर्व उक्त समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

कृपया उक्त आदेशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करायें।

(हिमॉशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।</u>

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।